कार्यालय आख्या

श्रीमान जी,

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एम.ए.सी. सं0 –452/2023 रोहित वर्मा आदि बनाम मौ0 आरिफ आदि से सम्बन्धित है। उक्त एम.ए.सी. याचिका इस अधिकरण द्वारा दिनांक 13.09.2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उभय पक्षों के मध्य सन्धि के आधार पर क्षतिपूर्ति धनराशि मु0 –27,50,000/-रू0 (सत्ताईस लाख, पचास हजार रूपये) के लिये निर्णित की गयी है।

अधिकरण के निर्णय के अनुपालन में प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा निर्णित क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि मु0 –27,50,000/-रू0 (सत्ताईस लाख, पचास हजार रूपये) अधिकरण के बचत खाते में जमा कर दी गयी थी, उक्त धनराशि में से निर्मित एफ.डी.आर.सं0 0671741 दिनांकित 14.11.2025 मु0 –7,50,000/-रूपये इण्डियन बैंक में रोहित वर्मा के पक्ष में तीन वर्ष के लिए निर्मित की गयी थी, जो दिनांक 15.11.2028 को परिपक्व होगी।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र इस आशय़ का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी ने राज श्री इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प स्थित असमोली रोड सम्भल का अनुबंध किया है जिसको पत्रावली पर दाखिल किया गया है। प्रार्थी को उक्त एफ.डी.आर की धनराशि की आवश्यकता है, इसलिये उक्त एफ.डी.आर की धनराशि का भुगतान समय से पूर्व किया जावे।

याची द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपील योजित नही की गई है और न ही कोई स्थगन आदेश प्रभावी है।

पत्रावली पर श्री अवधेश कुमार शर्मा, एडवोकेट का अभिभाषक पत्र संलग्न है।

प्रतिवेदन श्रीमान जी की सेवा में आदेशार्थ सादर समर्पित है।

सादर समर्पित

सहायक लेखाकार

आदेश

20.07.2026

एम.ए.सी. सं0 – 452/2023 रोहित वर्मा आदि बनाम मौ0 आरिफ आदि में याची की ओर से प्रार्थना पत्र एफ.डी.आर.सं0 0671741 के भुगतान हेंतु प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। कार्यालय आख्यां के अनुसार अधिकरण के निर्णय के अनुपालन में प्रतिपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा निर्णित क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि मु0 –27,50,000/-रू0 (सत्ताईस लाख, पचास हजार रूपये) अधिकरण के बचत खाते में जमा कर दी गयी थी, उक्त धनराशि में से निर्मित एफ.डी.आर.सं0 0671741 दिनांकित 14.11.2025 मु0 –7,50,000/-रूपये इण्डियन बैंक में रोहित वर्मा के पक्ष में तीन वर्ष के लिए निर्मित की गयी थी, जो दिनांक 15.11.2028 को परिपक्व होगी।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र इस आशय़ का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी ने राज श्री इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प स्थित असमोली रोड सम्भल का अनुबंध किया है जिसको पत्रावली पर दाखिल किया गया है। प्रार्थी को उक्त एफ.डी.आर की धनराशि की आवश्यकता है।

अतः एफ.डी.आर.सं0 0671741 की धनराशि का भुगतान समय से पूर्व याची रोहित वर्मा को नकद भुगतान जरिये NEFT/RTGS के माध्यम से प्रदान किया जाये।

पत्रावली पर माननीय उच्च न्यायालय व किसी भी अपीलीय न्यायालय का स्टे से सम्बन्धित कोई आदेश की प्रति नही है।

बैंक ब्याज याची को नकद के साथ दिया जाये।

तदानुसार प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

दिनांक 20.07.2026

(पीठासीन अधिकारी)
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
मुरादाबाद।